09/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13

अपील सूचना अधिकार संख्या 09/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर

11-02-2017

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2015 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से चाही गई 4 बिन्दुओ की सूचनांओ में से बिन्दु सं0 2, 3 व 4 की सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

उनका आगे कथन है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना का संबंध नगर परिषद व निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से बताया गया है। इसलिए अपीलार्थी का प्रा0 पत्र प्राप्ति से 5 दिवस के भीतर धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग को भिजवाया जाना चाहिए था जो विलम्ब से भिजवाया गया है। इसलिए माननीय सूचना आयोग की अपील सं0 852/2010 राधेश्याम गोयल बनाम वरिष्ठ लेखाधिकारी जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर में पारित निर्णय 29.10.2010 व अपील सं0 4580/2015 राधेश्याम गोयल बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक एवं सुधार विभाग निर्णय दिनांक 20.09.2016 के अनुसार संबंधीत विभाग से सूचनांए मंगवा कर दी जावे।

लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी का यह कथन कि उसे सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है, सही नही है। अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र के संबंध में पत्र सं0 4 दिनांक 05.01.2016 के द्वारा समय अवधि में उत्तर दिया जा चुका है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2015 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थी:-

1. आपके पत्रांक 2755 दिनांक 11.12.2015 जो कि नगर परिषद आयुक्त श्रीगंगानगर को संबोधित है प्रार्थी के जिस पत्रांक व दिनांक के आधार पर लिखा गया है उस पत्रांक का नम्बर व दिनांक पर आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. आयुक्त न्रर परिषद श्रीगंगानगर आपके पत्रांक 2755 दिनांक 11.12.2015 पर कार्यवाही न करने पर आयुक्त के विरूद्ध आपके आदेशों की अवहेलना करने पर उसके विरूद्ध विभागीय व अनुशासनात्मक कार्यवाही जिस विभागीय नियम के अंतर्गत नही की गयी है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. श्री मलकियतसिंह सैनी द्वारा लोकसभा चुनाव में जांच अधिकारी के रूप में लोकसभा चुनाव में अपने जांच अधिकारी के कर्तव्यों का पालन न करने पर जांच रिपोर्ट न देने पर उसके विरूद्ध आप द्वारा जन प्रतिनिधिगण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही न करने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. प्रार्थी के पत्रांक 5470 दिनांक 09.12.2015 पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।

सा/-
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक विभागीय लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 114 दिनांक 27.01.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का बिन्दुवार उत्तर उनके कार्यालय के पत्र सं0 04 दिनांक 05.01.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार दिया गया है:–

क0सं0	चाही गयी सूचना	जवाब
1.	आपके पत्रांक 2755 दिनांक 11.12.2015 जो कि नगर परिषद आयुक्त श्रीगंगानगर को संबोधित है प्रार्थी के जिस पत्रांक व दिनांक के आधार पर लिखा गया है उस पत्रांक का नम्बर व दिनांक पर आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।	उक्त पत्र आपके पत्रांक 5470 दिनांक 09.12.15 के आधार पर लिखा गया है। आयुक्त नगर परिषद से कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है।
2.	आयुक्त न्रर परिषद श्रीगंगानगर आपके पत्रांक 2755 दिनांक 11.12.2015 पर कार्यवाही न करने पर आयुक्त के विरूद्ध आपके आदेशों की अवहेलना करने पर उसके विरूद्ध विभागीय व अनुशासनात्मक कार्यवाही जिस विभागीय नियम के अंतर्गत नही की गयी है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भिक जांच के पश्चात दोषी पाये जाने पर सी सी ए रूल्स के तहत की जाती है। जिसके लिये स्वायत शासन विभाग सक्षम है।
3.	श्री मलकियतसिंह सैनी द्वारा लोकसभा चुनाव में जांच अधिकारी के रूप में लोकसभा चुनाव में अपने जांच अधिकारी के कर्तव्यों का पालन न करने पर जांच रिपोर्ट न देने पर उसके विरूद्ध आप द्वारा जन प्रतिनिधिगण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही न करने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	मलकियतसिंह सैनी के विरूद्ध जांच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा की जा रही है उक्त विभाग से सम्पर्क करे।
4.	प्रार्थी के पत्रांक 5470 दिनांक 09.12.2015 पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।	कार्यवाही नगर परिषद द्वारा अपेक्षित है। आपका प्रार्थना पत्र उक्त विभाग को अंतरित किया जा रहा है।

जहां तक बिन्दु सं0 2 से 4 की सूचनांए उपलब्ध करवाने का प्रश्न है बिन्दु सं0 3 व 4 नगर परिषद/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्रीगंगानगर से संबंधित होने के कारण आवेदन उक्त प्राधिकरण को हस्तगत किया जा चुका है। शेष सूचनांए अभिलेख के रूप में संधारित नही है। अतः धारा 2(च) के अनुरूप सृजन किया जाकर सूचना प्रदान किया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में नही आता। अतः अपील सव्यय निरस्त फरमाई जावे।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अनुसार अगर आवेदक द्वारा चाही गई सूचनांए यदि लोक सूचना अधिकारी के नियन्त्रणाधीन नही है तो उसे 5 दिवस की निर्धारित अवधि में संबंधित लोक सूचना अधिकारी को नियमानुसार अन्तरण करनी चाहिए थी जो निश्चित अवधि में अन्तरण नही की जानी प्रतीत होती है। इसलिए माननीय सूचना आयोग के उक्त निर्णयो को ध्यान में रखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति से 10 दिवस के भीतर संबंधित विभाग से वांछित सूचनांए अपने स्तर से एकत्रित कर अपीलार्थी को निशुल्क उपलब्ध करवावें।

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

503-04 2/3/17

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)